

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-5
संख्या-82/2018/1750/1-5-2018-15/2018
लखनऊ: दिनांक: 03 दिसम्बर, 2018

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (अधिनियम संख्या 7 सन् 2012) की धारा 6 की उपधारा (1) और (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और इस निमित्त पूर्व में जारी की गयी सरकारी अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से -

- (1) नीचे अनुसूची में उल्लिखित 23 ग्रामों के क्षेत्रों को अपवर्जित करके जिला ललितपुर की तहसील पाली,
- (2) उक्त अनुसूची में उल्लिखित 23 ग्रामों के क्षेत्रों को सम्मिलित करके जिला ललितपुर की तहसील सदर की सीमाओं में परिवर्तन करते हैं।

राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में, जिसने अब तक उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले प्रारम्भ की गयी या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

- 1- धौरा
- 2- धौजरी
- 3- प्याऊ
- 4- बिजौरी
- 5- मानिकचौक
- 6- भारौन
- 7- पिपरई
- 8- अमऊखेडा
- 9- हरदारी
- 10- कपासी
- 11- बम्हौरी पठार
- 12- मादौन
- 13- चीराकोडर
- 14- चांदपुर
- 15- जहाजपुर
- 16- सगौरिया
- 17- मैखुवां
- 18- दतया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 19-झिलगुवां
- 20-रमपुरा
- 21-जमुनिया
- 22-सैपुरा मुजप्ता
- 23-चौका

आजा से,
सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Rajasva Anubhag-5

In pursuance of the provisions of clause 3 of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.82/2018/1750/1-5-2018-15/2018, dated 03 December,2018

NOTIFICATION

NO.82/2018/1750/1-5-2018-15/2018,
Dated Lucknow, 03 December, 2018

In exercise of powers under sub-sections (1) and (2) of section 6 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (Act no.VII of 2012) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clause Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) and in partial modification of Government notifications issued earlier in this behalf the Governor is pleased to alter with effect from the date of this notification in the Gazette the limits of:-

- (1) tahsil Pali District Lalitpur by excluding the areas of 23 villages mentioned in the Schedule below;
- (2) tahsil Sadar District Lalitpur by including the areas of 23 villages mentioned in the said Schedule.

The Governor is further pleased to direct that nothing in this notification shall affect any legal proceeding already commenced or pending in any court of law which has hitherto exercised jurisdiction in respect of the said areas.

SCHEDULE

1. Dhorra
2. Dhojri
3. Pyau
4. Bijori
5. Manikchok
6. Bharon
7. Piprai
8. Amaukhera
9. Hardari
10. Kapasi
11. Bamhori Pathar
12. Madon
13. Chirakodar

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

14. Chandpur
15. Jahajpur
16. Sagaurya
17. Maikhauwan
18. Datya
19. Jhilguwan
20. Rampura
21. Jamuniya
22. Saipura Mujpta
23. Chauka

By order,

SURESH CHANDRA
Pramukh Sachiv

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।